

न्यायालय नायब तहसीलदार ~~पीलवा~~ ^{पीलवा} (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का ~~नागौर~~ ^{नागौर}

अप्रार्थी :- श्री ~~श्यामलाल नाथराय जाट~~ ^{श्यामलाल नाथराय जाट} निवासी ~~नागौर~~ ^{नागौर} अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 15/2018

निर्णय

दिनांक 29.5.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ~~नागौर~~ ^{नागौर} ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2018 में सरहद ~~नागौर~~ ^{नागौर} के खसरा नम्बर 232 मी. किरम ~~श्यामलाल~~ ^{श्यामलाल} में रकबा 0.5030 हे. बीघा भूमि में ~~पत्रावली~~ ^{पत्रावली} लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री ~~श्यामलाल~~ ^{श्यामलाल} ने दिनांक ~~29.5.18~~ ^{29.5.18} को उपस्थित होकर ~~प्रस्तुत~~ ^{प्रस्तुत} किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का मौजा ~~नागौर~~ ^{नागौर} के खसरा नम्बर 232 किरम गैंगू ~~श्यामलाल~~ ^{श्यामलाल} में रकबा 0.5030 हे. बीघा की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रुपये प्रति बीघा की दर से अतिक्रमित रकबा 0.5030 हे. बीघा भूमि के 0.512 रुपये लगान का 50 गुणा 1.000 रुपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 29.5.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा